कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून।

विज्ञप्ति संख्या : 1553/स्था0एक/वै0फा0–भर्ती/2012–13 दिनांक 31, जुलाई, 2012

//संशोधित विज्ञप्ति//

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट, वेतनमान पे बैंड–1(रूपया–5200–20200) ग्रेड पे. रू0 2800 के **120** रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञप्ति सं0–639/स्था0एक/वै0फा0–भर्ती/2012–13 दिनांक 19 मई, 2012 जारी की गई है, उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित आयु की गणना के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर स्पेशल अपील सं0–191/2012 विरेन्द्र दत्त बनाम उत्तराखण्ड राज्य एंव अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10–7–2012 को पारित आदेशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति दिनांक 19 मई, 2012 में निम्न संशोधन किया जाता है :–

प्रस्तर–6 में उल्लिखित अभ्यर्थी की आयु: 01 जनवरी, 2012 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष के स्थान पर **01 जुलाई, 2012 को न्यूनतम 18 वर्श तथा अधिकतम 35 वर्श होनी चाहिए** (शासनादेश सं0 961/XXX (2) दिनांक 24 जून, 2011 के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में केवल एकबार के लिए 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी), उत्तराखण्ड राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी, **पढ़ा जाय।**

अतः जो अभ्यर्थी उक्त संशोधित विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन के इच्छुक हो वे अपना आवेदन पत्र निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, ''पशुधन भवन'' मोथरोवाला, पो0 आफिस–मोथरोवाला, देहरादून के कार्यालय में **दिनांक 18–8–2012 (सांय 5.00 बजे) तक** रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, अन्य माध्यमों से तथा उक्त निर्धारित तिथि/समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 19 मई, 2012 के अनुसार पूर्व में आवेदन कर दिया गया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

विज्ञप्ति की शेष शर्ते यथावत रहेगीं ।

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।